

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही अथ इतिशियल्य जज

31/10/25

पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान अधिवक्ता अनुपस्थित। न्यायालय समय की समाप्ति तक पृथक पृथक समय में तीन बार प्रार्थी मय अधिवक्ता को आवाजे दिलवाई गई। लेकिन प्रार्थी अधिवक्ता के उपस्थित नही होने के कारण प्रार्थी का आवेदन अदम पैरवी व अदम हाजिरी में खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा